

इसलिए कुछ आदमियों का यह कह देना कि यह फर्टिलाइजर अच्छा नहीं होता, वह उनका जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन हमारे देश के लिए अभी फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होने लगा है, इसलिए हमें इस बात की अभी कोई चिन्ता नहीं है।

श्री हर्षदेव मालवीय : आर्गेनिक मैग्नोर के लिए, कंपोस्ट खाद के लिए गांधी जी का जो तरीका था, जो उन्होंने बताया था उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उस तरफ भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए गैबर गैस प्लांट को इंकरेज किया जा रहा है। हमारा अंदाजा है कि 50 हजार के करीब इस साल के आखिर तक हो जायेंगे। और भी इतको इनकरेज कर रहे हैं ताकि गैबर गैस प्लांट बनाने से गैस भी अच्छी मिल सके और कंपोस्ट भी मिल सके। इमारा इरादा यह है कि कंपोस्ट को भी ज्यादा इनकरेज करें।

SHRI BHAIKAB CHANDRA MAHANTI: In a country like ours, it is not a desirable thing that agriculturists should have to import fertilisers from foreign countries. Are the Government contemplating of setting up new plants for this purpose and, if so, from which year India will not have to depend on such imports?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Right now we are setting up some fertiliser plants in the country and they are likely to be commissioned soon. One is proposed to be commissioned by the end of this year, one perhaps in the next year. Like that, we are having some others also in view. But I cannot say that the imports of fertilisers can be stopped because the consumption of fertilisers is also increasing in the country.

MR. CHAIRMAN: Next question.

Allotment of quarters to the Central Government employees in Ghaziabad

*318. **SHRI SAWAISINGH SISODIA:** Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to allot quarters under the General Pool at Ghaziabad, to the Central Government employees working in Delhi;

(b) if so, what are the details thereof and by when quarters are likely to be allotted to those employees who have applied for allotment of quarters at Ghaziabad; and

(c) whether Government are maintaining any panel in respect of priority of applicants desiring allotment of quarters at Ghaziabad?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) तथा (ख) गाज़ियाबाद में सामान्य पूल के क्वार्टर मूलतः गाज़ियाबाद में काम कर रहे पात्र कर्मचारियों को आवंटन करने के लिए हैं। उनकी मांग पूरी करने के बाद यदि कोई क्वार्टर खाली रह जाता है तो वह दिल्ली में काम कर रहे उन पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को आवंटित किया जाता है जो आवंटन के लिये आवेदन दे। अतः, यह बताना सम्भव नहीं है कि दिल्ली में काम कर रहे कर्मचारियों को आवंटन के लिए कितने क्वार्टर उपलब्ध हो जायेंगे तथा उन्हें किस तारीख तक क्वार्टर आवंटित कर दिये जायेंगे।

(ग) जी, हाँ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR): (a) and (b). General Pool quarters at Ghaziabad are primarily

†[] English translation.

meant for allotment to eligible employees working at Ghaziabad. After meeting their demand in full, vacant quarters, if any, are allotted to eligible Central Government employees working in Delhi who have applied for the same. As such, it is not possible to indicate the number of quarters that would be available for allotment to Delhi-based employees or the date by which they are likely to be allotted and quarter.

(c) Yes, Sir.]

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि गाजियाबाद सहित पूरी दिल्ली में गवर्नमेंट एम्पलाइज को अलाट करने के लिये कितने क्वार्टर्स उपलब्ध हैं और गाजियाबाद में जो कर्मचारी रहते हैं उनमें से कितने लोगों ने मांग की है क्वार्टर्स के लिये और कितनों को आपने क्वार्टर्स अलाट कर दिये हैं और जो बच गये हैं उनको देने में कौन सी दिक्कत है ? इन दो बातों का आप जरा स्पष्टीकरण करें ?

श्री राम किकर : मान्यवर, गाजियाबाद बेसड जो कर्मचारी हैं उनके लिये 200 मकान वहां पर बने हैं। टाइप-1 के लिये 64, टाइप-2 के लिये 104 और टाइप-3 के लिये 32 क्वार्टर्स बने हैं जिनमें से 173 मकान वहां के कर्मचारियों को दे दिये गये हैं और बाकी 21 मकान जो दिल्ली बेसड कर्मचारी हैं उनको दिये गये हैं और 6 मकान इक्वायरी आफिस के लिये दिये गये हैं। अभी हाल ही में 4500 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : आपका मंत्रालय खाली गाजियाबाद तक ही सीमित नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा था कि पूरी दिल्ली में आपके पास कितने क्वार्टर्स तैयार हैं अलाट करने के लिये। आपने इसका उत्तर नहीं दिया और गाजियाबाद के बारे में बता दिया। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ कि गाजियाबाद

सहित पूरी दिल्ली में कितने क्वार्टर्स तैयार हैं एम्पलाइज को देने के लिये ?

MR. CHAIRMAN: The question pertains to Ghaziabad.

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : गाजियाबाद दिल्ली से ही लगता है इसीलिये मैंने पूरी दिल्ली के बारे में पूछा है इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे पूछा है कि दिल्ली सहित गाजियाबाद में एम्पलाइज को देने के लिये कितने क्वार्टर्स तैयार हैं ?

MR. CHAIRMAN: Is this your second supplementary?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : जी हां, यह मेरा सैकण्ड सप्लीमेंटरी है। मेरा निवेदन है कि दिल्ली सहित आपके कितने क्वार्टर्स हैं एम्पलाइज को देने के लिये और कितने आवेदन पत्र आपके पास आये हैं और वे सब कितने दिनों में बनने वाले हैं ? इन प्रश्नों का निराकरण आप कर दीजिये।

श्री सिकन्दर बख्त : 41,675 क्वार्टर्स हैं जो मुख्तलिफ टाइप के हैं जनरल पूल में और सब मिला कर उनका मेटिमफैक्शन 41.43 फीनदी है। क्यों नहीं करते हैं, इसको मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। सैन्ट्रल गवर्नमेंट का सन् 1972 में कमिटमेंट था कि 30 हजार मकानात का इजाफा करेंगे लेकिन पिछले साल तक 3 हजार मकानात ही बन सके। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने जो वायदा किया है वह यह किया है कि यह जो चालू वर्ष है इसमें और अगले दो वर्षों में वह तीस हजार मकानात पूरे कर देगी।

श्री सीताराम केसरी : मंत्री जी ने 14 जनवरी 1978 को चंडीगढ़ में एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि ग्रोथ आफ पापुलेशन जो बढ़ गई है उसको मटेनजर रखते हुए 40 हजार मकानात हर साल आप तैयार करेंगे। इसलिये मैं जानना चाहता

हूँ कि आपने तो प्रेस काफ़ेस में स्टेटमेंट दी है कि 40 हजार मकान हर साल बनेंगे और जब कि अभी आप फरमा रहे हैं कि दो सालों में 30 हजार मकानात हम बना सकेंगे तो कौन सी बात हम सही मानें? और आप खुद ही कह रहे हैं कि विगत वर्षों में केवल तीन हजार मकान बन सके हैं। अब आपने यह लम्बा चौड़ा एम्ब्वीशियस प्लान देश के सामने दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप अगले सालों में अपने स्टेटमेंट के अनुसार 40 हजार मकान बना सकेंगे?

श्री सिकन्दर बख्त : जनाब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन दोनों सवालों में बड़ा फर्क है। जिन मकानों का डेम मन्गल में जिक्र किया गया है वह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जो 40 हजार मकानों का जिक्र किया गया है वह दिल्ली डेवलपमेन्ट अथोरिटी और दूसरे जरियों से दिल्ली में तामीर किये जाने हैं। इसलिए मैंने यह अर्ज किया है कि ये दोनों मन्गल अलग अलग हैं।

श्री सीताराम केसरी : आपने जो इस तरह की एक एम्ब्वीशियस प्लान तैयार की है, क्या आप उसमें कामयाब हो जायेंगे?

श्री सिकन्दर बख्त : जनाब सदर साहब, मेरी मुश्किल यह है कि माननीय सदस्य मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जो प्रश्न सदन में चल रहा है उसका संबंध सरकारी कर्मचारियों के लिए गाजियाबाद में कितने मकान बनाये गये हैं, उनसे है। आपने पूरे दिल्ली के बारे में सवाल पछ दिया है। 40 हजार मकानों की जो बात कही गई थी वह डी०डी०ए०, सेट्टल पी० डेवलपमेन्ट, प्राइवेट बिल्डर्स आदि से मिल कर आने वाले सालों में बनने हैं। इस बारे में बातचीत चल रही है। इस बारे में 4 फरवरी को एक मीटिंग की गई है। हम सभी लोगों से मिल कर इस समस्या का कोई हल निकालना चाहते हैं। इसमें ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां बगैरह सभी शामिल हैं।

Pollution of water of the river Nagapati

*319. SHRI BRAHMANANDA PANDA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION: be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a memorandum has been sent to the Minister of Health and Family Welfare in which it has been stated that the pollution of water of the river Nagapati due to discharge of poisonous effluents of the J.K. Paper Mills into the river is causing hazard to public health and that people have been suffering by drinking river water, as reported in the "News World" of the 6th February, 1978 published from Cuttack in Orissa.

(b) whether it is a fact that a number of deaths have occurred thereby and the people and cattle, who have no alternative source of water supply are forced to drink the polluted water of the river and thus develop a number of diseases;

(c) whether the Central Government have made an enquiry into the matter; if so, with what results; and

(d) what preventive measures the Central Government have taken or propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR): (a) Yes, Sir. a representation dated 17th December, 1977 to this effect addressed to the Chief Minister, Orissa. with copy to the Union Minister of Health and Family Welfare was received.

(b) The Government of Orissa have stated that no report has been received about deaths due to use of this water.

(c) and (d) The Central Act, viz. the "Water (Prevention and Control of Water Pollution) Act, 1974", has not yet been adopted by the State